राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F26(4)( )/ECCE/ICDS/2015/ 123599-619 जयपुर,दिनांक : 22.9.16

प्राचार्य,
मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र,
उदयपुर।

प्राचार्य,
आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र,
समस्त।

विषयः—विभाग द्वारा पायलट किये जाने वाले ईसीई (ECE) सामग्री संबंधित प्रशिक्षण बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके संस्थान के एक अनुदेशक ने 7 सितम्बर, 2016 को आयोजित राज्य स्तरीय ईसीई प्रशिक्षण सामग्री आमुखीकरण प्रशिक्षण में भाग लिया था। उन अनुदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि जिले के ईसीई (ECE) प्रशिक्षण संबंधी सीडीपीओं से सम्पर्क कर जिले के सभी परियोजनाओं के आदर्श सेक्टरो में **22–30 सितम्बर, 2016** के मध्य आंगनबाडी कार्यकर्ताओं हेतु आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों की कार्य–योजना तैयार करने में सहयोग करें।

साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र के निकटस्थ आदर्श सेक्टर का प्रशिक्षण उक्त अनुदेशक के सहयोग से प्रशिक्षण केन्द्र पर ही आयोजित किये जायेंगे। इस ईसीई शिक्षण सामग्री को प्रशिक्षण केन्द्र पर नियमित रूप से आयोजित होने वाले कार्य एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण के सत्रों में भी आवश्यक रूप से सम्मिलित करें।

इस ईसीसीई शिक्षण सामग्री के संबंध में प्रशिक्षण के दौरान आने वाले चुनौतियों तथा Feedback से निदेशालय को आवश्यक रूप से अवगत कराए।

संलग्नः— दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश

(बिन्दु करूणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)/
प्रभारी अधिकारी (ईसीसीई)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F26(4)( )/ECCE/ICDS/2015/ 123092-123124 जयपुर,दिनांक : 20/9/16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः—चयनित आदर्श ईसीई (ECE) सेक्टरो की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारम्भिक बाल्यवस्था शिक्षा (Early Childhood Education) हेतु प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (Hands-on-Training) के संबंध में दिशा—निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले की परियोजनाओं के चयनित आदर्श ईसीई सेक्टरो में "आंगनबाडी पाठ्शाला" पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रारम्भिक बाल्यवस्था शिक्षा के लिए आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को पॉवर पाईन्ट (PPT) के माध्यम से, दो दिवसीय प्रशिक्षण, दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में **22—30 सितम्बर, 2016** के मध्य आयोजित किए जाएँगे।

यह प्रशिक्षण निम्न व्यक्तियों द्वारा दिया जाएगाः—

1. जिले से ईसीई पर ओरियेन्ट किए गए सीडीपीओं (मास्टर ट्रेनर)-जिले के सभी परियोजनाओं के सेक्टर प्रशिक्षणों में कम से कम आधे दिवस तक अपनी भागीदारी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।
2. सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक (मास्टर ट्रेनर) या परियोजना से ओरियेन्ट की गई अन्य महिला पर्यवेक्षक (मास्टर ट्रेनर)।
3. जिले से ईसीई कार्यशाला में आये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (AWTC) के ईसीई अनुदेशक।
4. समन्वित राजकीय माध्यमिक/उच्च विद्यालय के संस्था प्रधान/शिक्षक।
5. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग भी अपने जिले में आयोजित प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण देगे/पर्यवेक्षण करेंगे।

प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पंजीकरण के दौरान ही आंगनबाडी कार्यकर्ता मॉड्यूल-गतिविधि बैंक (Activity Bank), बच्चों हेतु वर्क बुक (गतिविधि पुस्तिका), समय सारिणी एवं प्रगति पत्र (असेसमेन्ट कार्ड) मास्टर कॉपी के रूप में उपलब्ध करायी जायें, ताकि वे प्रशिक्षण के दौरान उस गतिविधि का प्रत्यक्ष अनुभव (Hands-on-Training) प्राप्त कर सके।

प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को आंगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए समुचित मात्रा में गतिविधि पुस्तिकाएं एवं प्रगति पत्र उपलब्ध करवाये जाये।

उक्त प्रशिक्षण की सेक्टरवार तिथियों एवं आयोजन स्थल का निर्धारण जिले से राज्य स्तरीय 7 सितम्बर, 2016 के कार्यक्रम में ओरियेन्ट किए गए सीडीपीओं तथा संबंधित सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक के द्वारा संलग्न प्रपत्र में जारी किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशालय को दिनांक 21.09.2016 तक आवश्यक रूप से विभागीय ई—मेल adiec.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित अवधि में सभी सेक्टरों में ये दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जाए। प्रशिक्षण आयोजन स्थल यथा सम्भव ब्लॉक स्तरीय अटल सेवा केन्द्र रखा जाये।

मास्टर ट्रेनर्स को एक–एक सैट प्रशिक्षण सामग्री (मास्टर कॉपी) एवं पैन ड्राईव उपलब्ध कराई गई थी। जिनका प्रयोग प्रशिक्षण में किया जाए। प्रशिक्षण हेतु निम्न संशोधित प्रशिक्षण सामग्री भी विभागीय वैबसाईट wcd.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई है:–

- पीपीटी–1 प्रार्थना एवं प्रशिक्षण संबंधी सामान्य निर्देश।
- पीपीटी–2 पायलट प्रोजेक्ट के उद्देश्य व ईसीई शिक्षण सामग्री का परिचय।
- पीपीटी–3 (3.1 से 3.6)– आंगनबाडी कार्यकर्ता मॉड्यूल (गतिविधि बैंक)।
- पीपीटी–4 गतिविधि पुस्तिका (वर्क बुक)।
- पीपीटी–5 प्रगति पत्र (असेसमेन्ट कार्ड)।
- समय सारिणी का विडियो।
- आदर्श आंगनबाडी का विडियो।

उपरोक्त सभी संशोधित प्रशिक्षण सामग्री को पैन ड्राईव में कॉपी कर, इनका प्रशिक्षण में उपयोग करे।

प्रशिक्षण पर होने वाले एक बैच का प्रति संभागी व्यय का विवरण निम्नानुसार होगा :–

क्र.सं.	विवरण	राशि
.1	Food Cost for trainees @150 per trainee ; (150*2days)	300
2.	TA for trainee @100 pre trainee; (100*2days)	200
3.	Training material to each participant (pen, pencil, blank copy); (20)	20
	Total	**520**

प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का आहरण निम्न बजट मद से किया जायेगा, जिस हेतु बजट आवंटन अलग से किया जा रहा हैं :–

मांग संख्या – 33

2236– पोषण

02– पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101– विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)– महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम द्वारा

[02] – एकीकृत बाल विकास योजना

29– प्रशिक्षण (आयोजना)

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स तथा किये गये दस्तावेजीकरण (Documentation) को नियमित रूप से रिपोर्ट के साथ निदेशालय को भिजवाया जाना तथा वाट्सअप के अन्तर्गत संबंधित जिला ग्रुप में साझा (Share) किया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

संलग्नः–
1. दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–दिशा निर्देश,
2. जिले का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रपत्र।

क्रमांक F26(4)( )/ECCE/ICDS/2015/ 123125-123200 जयपुर,दिनांक : 20/9/16

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
5. वित्तीय सलाहकार, आईसीडीएस को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु परियोजना स्तर पर बजट आवंटित करवाने की व्यवस्था करावें।
6. उपनिदेशक (प्रशिक्षण), आईसीडीएस को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु परियोजना स्तर पर बजट आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही करावें।
7. एसीपी, मुख्यालय को आदेश एवं दिशा निर्देश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, ...
9. संबंधित महिला पर्यवेक्षक, ...

(बिन्दु करूणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)/
प्रभारी अधिकारी (ईसीसीई)

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ, विभागीय वैबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in
फैक्स नम्बर 0141—2700281, 2705638 दूरभाष नम्बर 0141—2713644

जिले का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रपत्र

जिले का नाम ....

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	मास्टर ट्रेनर का नाम	प्रशिक्षण दिनांक	प्रशिक्षण आयोजन स्थल	पॉवर पोइन्ट प्रजेन्टेशन

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण सामग्री पर दो दिवसीय प्रशिक्षण योजना –

प्रथम दिवस

क्र. सं.	समय	सत्र	मुख्य बिंदु/गतिविधि/सहायक सामग्री
1	9.00 से 9.30	रजिस्ट्रेशन	• स्थान ग्रहण कराना। • सभी संभागीगण की उपस्थिति लेना। • कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गतिविधि बैंक, समय–सारिणी, बच्चों की वर्क बुक, प्रगति प्रपत्र की एक–एक प्रति देना।
2	9.30 से 9.55	प्रार्थना एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्देश	• प्रार्थना – तुम्ही हो माता..... .... • प्रशिक्षक द्वारा पीपीटी की स्लाइड को विस्तार से बताते हुए, प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्देश देना (माध्यम पीपीटी–1)
3	9.55 से 10.15	पायलट प्रोजेक्ट का परिचय देना	• पायलट प्रोजेक्ट के उद्देश्य • ईसीई शिक्षण सामग्री का परिचय • समय सारिणी का परिचय (माध्यम पीपीटी–2)
4	10.15 से 10.20	आंगनबाड़ी समय सारिणी का विडियो	
5	10.20 से 11.00	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गतिविधि बैंक (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मॉड्यूल)	• किताब का परिचय • विकास के पांचो आयाम (माध्यम पीपीटी–3.1)
	11.00 से 12.00		• शारीरिक विकास (पीपीटी 3.2)
	12.00 से 1.00		• भाषा विकास (पीपीटी 3.3) • प्रशिक्षक पीपीटी में दी गई गतिविधियों का डेमो (Hands on Training) संभागियो से करवाए
6	**1.00 से 2.00**	**लंच**	
7	2.00 से 3.00	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गतिविधि बैंक	• रचनात्मक विकास (पीपीटी 3.4)
	3.00 से 4.00		• बौद्धिक विकास (पीपीटी 3.5)
	4.00 से 4.40		• सामाजिक सवेगात्मक विकास (पीपीटी 3.6)
8	4.40 से 4.45	आदर्श आंगनवाड़ी का विडियो	
9	4.45 से 5.00	दिन के मुख्य संदेशो का दोहरान	

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण सामग्री पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण की प्रस्तावित योजना

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए क्रियान्विति सम्बन्धी निर्देश –

1. जिले से चयनित बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रत्येक परियोजना के एक सेक्टर में होने वाले प्रशिक्षण की योजना बनाएगा। योजना में अग्रलिखित बिंदु शामिल है –

    - सेक्टर अनुसार प्रशिक्षण तिथि तय करना। यह कोशिश की जाये कि प्रत्येक सेक्टर की अलग–अलग तिथि हो ताकि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अधिक से अधिक प्रशिक्षण स्थलों पर भागीदारी दी जा सके।

    - प्रशिक्षण की योजना बनाने में सम्बंधित जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों से आमुखीकृत अनुदेशक की सहायता ली जाये।

    - जहाँ चयनित सेक्टरो के आस–पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र है, उस स्थिति में यह प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों पर रखा जावे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर सत्र लेने में अनुदेशक भी प्रशिक्षक की भूमिका में रहेंगे।

    - यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रशिक्षण से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण सामग्री प्रशिक्षण स्थल पर पहुँच जाये।

2. सेक्टर स्तर पर मुख्यतः महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी व सम्बंधित अनुदेशक भी प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण की तैयारी से सम्बंधित बिंदु अग्रलिखित है –

    - प्रशिक्षण में मुख्य विषयवस्तु (ईसीई) पर ही केन्द्रित होगी।

    - प्रशिक्षण के दौरान पीपीटी व ऑडियो–विडियो मुख्य माध्यम रहेगा। इसलिए आवश्यक रूप से प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था की जाये।

    - विषयवस्तु पर बातचीत के साथ साथ प्रत्येक गतिविधि का अभ्यास (डेमो) जरुर करवाएं।

द्वितीय दिवस

क्र. सं.	समय	सत्र	मुख्य बिंदु/गतिविधि/सहायक सामग्री
1	9.30 से 9.35	प्रार्थना	• प्रार्थना – इतनी शक्ति हमें देना दाता..........
2	9.35 से 10.00	पिछले दिन के कार्य का दोहरान	• प्रशिक्षक पिछले दिन के मुख्य संदेशो का दोहरान करें
3	10.00 से 11.30	बच्चों की गतिविधि पुस्तिका (वर्क बुक)	• वर्कबुक का परिचय (पीपीटी 4.1)
	11.30 से 1.00		• माह अनुसार थीम का वर्णन (पीपीटी 4.2)
4	**1.00 से 2.00**	**लंच**	
5	2.00 से 4.15	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ की आकलन प्रपत्र पर समझ बनाना	प्रगति प्रपत्र समझाने के पश्चात कार्यकर्ता किसी एक बच्चे को ध्यान में रख कर दिए गए सूचकों को भरने का अभ्यास करें। (माध्यम पीपीटी–5)
6	4.15 से 4.30	दिन की विषय वस्तु पर क्विज	• प्रशिक्षक संभागियो से छोटे छोटे सवाल करें। सवालो को पूछने के पीछे उद्देश्य मूल्यांकन से ज्यादा दोहरान का है।
7		समापन	• बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका (वर्क बुक) और प्रगति पत्र का वितरण